

7/2/2017
दुम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नारायणदेवी पीए कुल्याणसिंह

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
दुम की तामिल में
जारी हुए

28/10/25

पत्रावली पेश हुई। अधिनक्र। उमपपक्ष उप।
पत्रावली के मवलोजेन में स्पष्ट है कि अधिनक्र
न्यायालय द्वारा धारा 212 रात के प्रा. पत्र
में सिंउ 4-3-2014 के अन्तर्गत अर्थात्
निजेवला पारित की गई। जिसे उ विद्व
हतागत अपील सिंउ 27-10-2017 के अन्तर्गत
की। लेकिन अधिनक्र न्यायालय द्वारा सिंउ
23-6-2014 के ही पारित आदेश द्वारा
अर्थात् निजेवला प्रा. पत्र अन्तर्गत रूप में
निर्धारित किया गया। जिसे उ विद्व हतागत
अपील उतडा नी हुई है। मतः हतागत
अपील प्रभावहीन है चुकी है। मतः अपील
अपीला 2 श्री-श्री तार पर आविल की जाती
है। पत्रावली के मल शुमार कोकर नम्बर
में रुम है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली